जिला पंचायत कार्यालय
कृषि अनुभाग
दमण ।

सं.कृषिअनु./जि.प./दमण /कृ.प्र.कार्यक्रम/2015-16/ 79 **दिनांक : 19/10/2015**

निविदा सूचना / कोटेशन नोटिस

दमण एवं दीव, संघ प्रदेश कृषि अनुभाग, जिला पंचायत, दमण की ओर से किसान शिबीर /क्षेत्र निदर्शन/किसान प्रवास मे खान-पान सेवा निम्नानुसार आपूर्ति करने के लिए निर्धारित व्यक्तियों / फार्मों / संगठनों / होटलो से एतदद्वारा मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं : विवरण संलग्न है ।

क्रम सं.	विवरण	अंदाजीत मात्रा	EMDs राशि
1.	**किसान शिबीर / क्षेत्र निदर्शन / किसान प्रवास कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराना :-** **चाय:** दिन में दो बार (दुध/पानी का अनुपात= 50 : 50) **नास्ता (शाकाहारी)** : निम्नलिखित शामिल - पौवा / खमण / सिरा /उपमा: कोई एक; **फल**:केला/पपीता/संतरा/अमरूद: कोई एक :- **दोपहर का भोजन (शाकाहारी)** : निम्नलिखित शामिल :- गेहूँ की रोटी/ गेहूँ की पुरी, पका हुआ चावल, दाल / दाल फ्राई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद, सह मुखवास :- **रात्रि भोजन (शाकाहारी)** : निम्नलिखित शामिल - गेहूँ की रोटी/ गेहूँ की पुरी, पका हुआ चावल, दाल / दाल फ्राई, सब्जी : 01 हरी और 01 दाल, हरा सलाद सह मुखवास :-	500 व्यक्तियों के लिए एक या कई अवसरों पर मांगे जा सकते हैं ।	Nil

निबंधन एवं शर्तें : -

1 रूचि रखनेवाली एजन्सीयों को अपना प्रस्ताव/ अपनी दरें पत्रशीर्ष पर सह हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना होगा ।

2 दरों के अंतःर्गत परिवहन सह सभी दरे शामिल होनी चाहिए ये 31 मार्च 2016 तक वैध होना चाहिए ।

3 रुचि रखनेवाले पक्षो /एजंन्सीयों को कृषि अनुभाग, जिला पंचायत द्वारा एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर कभी भी माँगे जाने पर, बागबानी फार्म/प्रशिक्षण स्थान या निर्दिष्ट स्थानो पे खान-पान सेवा मुहैया करने का समर्थन होना चाहिए । उक्त खान-पान सेवा 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधी के दौरान एक या कई अवसरों पर माँगे जा सकते है ।

4 खान पान आपूर्तिकर्ता- प्रशिक्षण शिबीर किशन मेला स्थानो पे किसान प्रवास/ क्षेत्र निदर्शन/खाना पकाकर या अन्य प्रकार से आपूर्ति करके परोस सकते है । जैसा उन्हे उपुक्त लगे, परंतु खानपान आपूर्तिकर्ता को ताजा- स्वास्थ्यकर एवं स्वच्छ भोजन देना होगा । प्रति व्यक्ति दिये जानेवाले बुनियादी खाध मदों की मात्रा असीमित होगी । आपूर्तिकर्ता को सेवाये खान पान-दायरे के साथ उसकी न्यामवाली लागू होगी ।

5 खान पान-सेवा विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए । विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर इन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

6 आपूर्ति किये जानेवाले मदों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है ।

7 मदों को प्राप्त करने के बाद तथा संबन्धित प्राधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. के संतुष्ट होने पर ही सीधा बैंक खाता मे भुगतान किया जायेगा । किसी भी प्रकार का भुगतान आगे से नहीं किया जाएगा ।

8 उक्त निविदाएँ इस कार्यालय में दिनांक :- 28 /10/2015 को 12.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए । और लिफाफे पर बड़े अक्षरों में "कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान खान-पान सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा " लिखा होना चाहिए । इन्हें संभव होने पर निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उसी दिन मध्याहन बाद 03.00 बजे खोला जायेगा ।

9 इस नोटिस की निबंधन एवं शर्ते तथा इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा आगे निर्धारित निबंधन एवं शर्ते भी रूचि रखनेवाले पक्षों को स्वीकार्य होगा । इस परियोजना के अलग से करार नहीं किया जायेगा ।

10 किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. को सुरक्षित होगा ।

11 इस कार्य से संबंधित सभी विवाद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में उचित न्यायालप्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा ।

(ई.बा.पटेल)
सहायक लेखा अधिकारी/आ.स.अ.
जिला पंचायत,कृषि विभाग
दमण ।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण ।
2. निजी सचिव,अध्यक्ष जिला पंचायत, दमण को सूचनार्थ ।
3. सभी कार्यालय/अनुभाग जिला पंचायत, दमण को व्यापक प्रचार के लिए अनुरोध सहित ।
4. जिला सूचनाविज्ञान अधिकारी,सचिवालय,दमण को सरकारी वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
5. नोटिस बोर्ड / संबन्धित गार्ड फाइल